न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2014
प्रविष्टि दिनांक 24.01.2014

रामधन पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी काचरिया, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान

.....आवेदक

बनाम

1–पन्नालाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी काचरिया, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन
आदेश दिनांक 10.12.2010

उपस्थिति : (1) श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री विनोद कुमार गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
(3) श्री रामप्रसाद कुमावत, राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 27–09–2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति टोडारायसिंह द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2010–11 में दिनांक 10.12.2010 को प्रतिपक्षी सं. 1 पन्नालाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी काचरिया, तहसील टोडारायसिंह को ग्राम काचरिया में स्थित भूमि खसरा नं. 3571 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया है। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने बहस में कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति टोडारायसिंह द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2010–11 में दिनांक 10.12.2010 को प्रतिपक्षी सं. 1 पन्नालाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी काचरिया, तहसील टोडारायसिंह को ग्राम काचरिया में स्थित भूमि खसरा नं. 3571 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि का जो आवंटन किया गया है, वह विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल हैं। आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया हैं। प्रशान गांव के संग अभियान के तहत वर्ष 2010 में टोंक जिले में भूमि आवंटन किये जाने का निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, आवंटन नियमों को नजरअन्दाज कर यह आवंटन किया गया हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवेदन किये जाने से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई, बल्कि आवंटन गुपचुप तरीके से किया गया है, आवंटित भूमि पर प्रार्थी आवेदक का काफी समय से कब्जा, काश्त चला आ रहा है तथा आवेदक उक्त भूमि पर काश्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कर रहा हैं। आवंटित भूमि खसरा नं. 3571 प्रार्थी की खातेदारी की अन्य भूमि 3587, 3572 व 3585 के समीपस्थ है, जिस पर प्रार्थी काबिज हैं। प्रार्थी स्ट्रीफ ऑफ लेण्ड की परिभाषा में आने के कारण उक्त भूमि का आवंटन का अधिकारी था। आवंटन किये जाने के समय आवंटित भूमि रिक्त भूमि नहीं थी, पटवारी हलका ने गलत रूप से रिपोर्ट पेश की हैं। अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है, बरवक्त आवंटन आवंटी के खातेदारी में काफी भूमि थी। अप्रार्थी सं. 1 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त आवंटन अपने पक्ष में करवाया हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने आवंटन के लिये भरे गये आवेदन पत्र में अपनी खातेदारी की भूमि का अंकन नहीं किया है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है और ना ही उसको कब्जा दिया गया है अतः आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के हक में किया गया आवंटन बाबत भूमि खसरा नं. 3571 रकबा 0.30 हैक्टर वाके ग्राम काचरिया तहसील टोडारायसिंह दिनांक 10.12.2010 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अभिभाषक प्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए बहस कथन किया कि पन्नालाल के पिता पोखर के कुल 24 बीघा भूमि थी। पोखर के तीन वारिस पन्ना, मन्नालाल व छोटू हैं। पोखर की 24 बीघा भूमि उसकी स्वयं की अर्जित सम्पत्ति हैं। आवेदक ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे यह सिद्ध होता हो कि ये भूमि पोखर की स्वअर्जित न होकर पैतृक हैं। पोखर के जीवित रहते यह भूमि वारिसान के नाम नहीं आयेगी। अतः उक्त भूमि में से पन्नालाल का कोई हिस्सा नहीं बनता हैं। अगर पिता पोखर से मिला हिस्सा व आवंटित भूमि को भी मिला लिया जाए तो भी यह 7.25 बीघा ही भूमि होती हैं जो सीमा से अधिक नहीं हैं। तथा आवंटित भूमि पर आवेदक का कब्जा होने संबंधित कोई दस्तावेज भी आवेदक ने पेश नहीं किया है। उक्त भूमि पर आवंटी पन्नालाल ने एक फॉर्म पौण्ड भी बना रखा हैं। पन्नालाल के पिता पोखर को उक्त भूमि 12.05.1966 को आवंटित हुई थी जो बाद में सिवायचक दर्ज हो गयी और इसके तीन नए नम्बर 3557, 3570, 3571 बने। इस 3571 में से ही पन्नालाल को 0.30 हैक्टर भूमि आवंटित हुई हैं। आवंटन प्रक्रिया में समस्त विधिक प्रकिया अपनायी गई हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र आवेदक खारिज किया जाकर उक्त आवंटन यथावत रखा जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। भू आवण्टन सलाहकार समिति टोडारायसिंह द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2010–11 में दिनांक 10.12.2010 को प्रतिपक्षी सं. 1 पन्नालाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी काचरिया, तहसील टोडारायसिंह को ग्राम काचरिया में स्थित भूमि खसरा नं. 3571 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन पत्रावली सं0 20/2010 के अवलोकन से जाहिर है कि भू आवटंन सलाहकार समिति टोडारायसिंह द्वारा विधिवत रूप से आवंटन योग्य भूमि की रिपोर्ट ली जाकर भूमि का आंवटन किया गया है। आवंटित भूमि पर आवेदक का कब्जा है, प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा पन्नालाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी काचरिया, तहसील टोडारायसिंह के हक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 10–12–2010 को पन्नालाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी काचरिया, तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 3571 रकबा 0.30 हैक्टर वाके ग्राम काचरिया तह0 टोडारायसिंह में किया गया भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अति. जिला कलेक्टर, टोंक